

संख्या-6/बी3-103/16 श्र0सं0-

125

आवंटनादेश

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना।

पटना, दिनांक:- 23-12-16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र कोड-एन 2230011010007) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव इकाई (13 02) में ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख) एवं विधि प्रभार इकाई (13 05) में ₹ 30,000/- (रूपये तीस हजार) अर्थात् कुल ₹ 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

22/12/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-103/16 श्र0सं0

125

पटना, दिनांक

23-12-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-103/16 श्र0सं0

125

पटना, दिनांक

23-12-16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।